न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 2/2018

लक्ष्मीनारायण पुत्र चतरा जाति मीणा निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

1. रामकरण पुत्र चतरा जाति मीणा निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल हाल निवासी बालिका रोड रामचन्दपुरा कॉलोनी बडगांव तहसील लाडपुरा पोस्ट बडगांव जिला कोटा
2. कलावति बाई बेवा राधेश्याम जाति मीणा निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां
3. विजेन्द्र कुमार
4. रिंकू कुमारी
5. प्रदीप कुमार
6. आरती कुमारी

} पिसरान राधेश्याम जाति मीणा निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां सभी नाबालिग जर्ये संरक्षक वली स्वयं माता कलावती बाई बेवा राधेश्याम मीणा मूण्डली

7. भूली बाई पत्नि रामकिशन जाति मीणा निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां
8. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टा बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते बंटवारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 पूजा सक्सेना (आरएएस)
वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील प्रतिवादीगण : श्री लवकुल गौड
दायरा दिनांकः 10.01.2018 निर्णय दिनांक : 27.01.2020

प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा सुनाये गये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.08.2018 के अनुसार वादी, प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 140 में खसरा नं0 116 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 220 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 638 रकबा 2.89 है0, खसरा नं0 655 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 657/755 रकबा 0.06 है0 कुल किता 05 रकबा 4.28 है0 वाके ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के शामलाती खाते खाता संख्या 41 में खसरा नं0 652 रकबा 1.29 है0, आराजी ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा है। आराजी पुश्तैनी है, व पीढी दर पीढी परिवार मे चली आ रही है। वादी ने खसरा नं0 220 रकबा 0.51 है0 में से अपने हिस्से की आराजी 1/3 का रजिस्टर्ड विक्रय प्रतिवादनी को कर दिया है। तथा बेचान करके आराजी हिस्सा 1/3 का कब्जा सम्भला दिया है, इस प्रकार खसरा नं0 220 रकबा 0.51 है0 में 1/3 हिस्से पर प्रतिवादनी क्रम 7 व 2/3 हिस्से पर वादी काश्त कर रहा है। वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 अपने पिता चतरा की मृत्यु होने के बाद से ही आपस में मौखिक बंटवारा करके अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त कर रहे है, लेकिन प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 6 अब

कब्जे काश्त को लेकर लडाई झगडा करने लगे तथा कर्ता पिलाई भी समय पर जमा नही कराने से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अनबन रहने लगी है, वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से खाता अलग करने के लिए कहा है, प्रतिवादीगण 1 ता 6 के आये दिन विवाद करने से वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वादी अपना हिस्सा 1/3 अलग करा ले ओर खाता पृथक करा कर पृथक खाते बंधा ले जिससे विवाद ना हो। अतः निवेदन है कि खाता संख्या 41 में दर्ज आराजी खसरा नं0 652 रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां में वादी का हिस्सा 1/3 पृथक किया जाकर पृथक से वादी के खाते दर्ज किया जावें। खाता संख्या 140 में दर्ज आराजी खसरा नं0 116 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 220 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 638 रकबा 2.89 है0, खसरा नं0 655 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 637/755 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 रकबा 4.28 है0 में वादी का 1/3 हिस्सा पृथक किया जाकर पृथक से वादी के खाते दर्ज किया जावे। तथा खसरा नं0 220 रकबा 0.51 है0 में से वादी के 1/3 हिस्से में से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 7 के खाते दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 10.01.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 रामकरण पुत्र चतरा की और से अधिवक्ता श्री लवकुल गौड ने दिनांक 13.08.2018 को वकालत नामा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी कम 2 ता 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 31.08.2018 को उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी कम 2 ता 7 ने एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया वकील वादी को आपत्ति नही है प्रतिवादी कम 1 व प्रतिवादी कम 2 लगायत 7 ने जवाबदावा व काउन्टर क्लेम भी पेश किया प्रतिवादीगण भी अपना–अपना हिस्सा 1/3 पृथक करवाना चाहते है, उभय पक्षकारान अपना 1/3 हिस्सा पृथक कराकर पृथक से खाते दर्ज करवाना चाहते है वादी ने अपनी सहमति प्रकट की।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। वकील वादी व वकील प्रतिवादी कम 1 दिनांक 31.08.2018 को उपस्थित है। चूकि प्रतिवादी कम 1 व प्रतिवादी कम 2 लगायत 7 भी अपना–अपना हिस्सा 1/3 पृथक करवाना चाहते है, उभय पक्षकारान अपना 1/3 हिस्सा पृथक कराकर पृथक से खाते दर्ज करवाना चाहते है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एव सुनी गयी बहस के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिया जाता है कि आराजी खाता संख्या 140 में खसरा नं0 116 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 220 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 638 रकबा 2.89 है0, खसरा नं0 655 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 657/755 रकबा 0.06 है0 कुल किता 05 रकबा 4.28 है0 वाके ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल व खाता संख्या 41 में खसरा नं0 652 रकबा 1.29 है0, आराजी ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल की आराजी

में वादी व प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादी, प्रतिवादी क्रम 1 को 1/3–1/3 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 2 ता 6 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर पृथक–पृथक आराजी खाते दर्ज की जावें तथा वादी को अपने कब्जे काश्त के खसरा नं0 220 रकबा 0.51 है0 में से अपना 1/3 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 7 को दिये जाने में कोई आपत्ति नही है लिहाजा वादी की प्राथमिक डिक्री में से प्रतिवादी क्रम 7 को दिये जाने वाला हिस्सा कम करते हुए डिक्री बनायी जावें। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मांगरोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2019/3071 दिनांक 31.07.2019 से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम मूण्डली के खातेदारः–

01. लक्ष्मीनारायण पुत्र चतरा मीना सा0 देह के खसरा नम्बर 220 उत्तरी रकबा 0.18 है0 तथा खसरा नं0 638 पूर्वी रकबा 1.34 है0 कुल किता 2 रकबा 1.52 है।
02. भूली बाई पत्नि रामकिशन मीना सा0देह के खसरा नं0 220 दक्षिणी रकबा 0.17 है0।
03. भूली बाई पत्नि रामकिशन, सुनीता बाई पत्नि बनवारीलाल जाति मीना सा0 देह के खसरा नं0 220 मध्य रकबा 0.16 है।
04. विजेन्द्र, प्रदीप पुत्र राधेश्याम रिंकू, आरती पुत्रियां राधेश्याम कलावती बाई पत्नि राधेश्याम मीना सा0 देह के खसरा नं0 638 पश्चिमी रकबा 1.55 है0, खसरा नं0 655 पश्चिमी रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 657/755 पश्चिमी रकबा 0.03 है0। किता 3 रकबा 1.85 है0।
05. रामकरण पुत्र चतरा मीना सा0 देह खसरा नं0 652 रकबा 1.29 है0, खसरा नं0 655 पूर्वी रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 657/755 पूर्वी रकबा 0.03 है0 किता 3 रकबा 1.85 है0।
06. लक्ष्मीनारायण पुत्र चतरा हि0 1/3 विजेन्द्र, प्रदीप पुत्र व रिंकु आरती पुत्रियां राधेश्याम कलावती पत्नि राधेश्याम हि0 1/3 रामकरण पुत्र चतरा हि0 1/3 मीना सा0 देह खसरा नं0 116 मकान रकबा 0.02 है0।

अतः तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी, प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 140 में खसरा नं0 116 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 220 रकबा 0. 51 है0, खसरा नं0 638 रकबा 2.89 है0, खसरा नं0 655 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 657/755 रकबा 0.06 है0 कुल किता 05 रकबा 4.28 है0 वाके ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां को पृथक–पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(डॉ0 पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल